


मुत्तकिली प्रकरण सं0 53/2015 घासीराम पुत्र जीसुखराम जाति सुथार निवासी
भातीवाला तहसील श्रीविजयनगर बनाम 1-नारायणीदेवी पत्नि हरिसिंह जाति
सुथार निवासी भातीवाला तहसील श्रीविजयनगर 2-सुधनदेवी 3-मनोजकुमार
4-सुनीलकुमार 5-बलवंतराम 6-राजेश 7-विकास वगैरा



18.01.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी उपस्थित हैं। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ में लंबित दावा अनवानी नारायणीदेवी बनाम चन्द्र देवी आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुत्तकिल करवाने के लिए मुत्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र पेश किया है। प्रार्थी अब इस मुकदमा मुत्तकिली प्रा0 पत्र पर अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अर्थात् नॉट प्रैस करता है। अतः यह मुकदमा मुत्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नहीं है।

चूंकि प्रार्थी मुकदमा मुत्तकिली प्रा0 पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अर्थात् नॉट प्रैस करता है। इसलिए यह मुकदमा मुत्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 18.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

95
22/1/16

53
15
AB